राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

कमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 20.06.2016

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20.6.2016 (सोमवार) को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गयेः–

क.सं.	विषय	संबंधित अधिकारी
1	थर्ड पार्टी निरीक्षण के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट की अनुपालना जिलों से कराया जाना सुनिश्चित करें। थर्ड पार्टी निरीक्षण के संबंध में पूर्व में जारी टेम्प्लेट में चाहिए तो आवश्यक संशोधन पीडी एसएपी–II एवं श्री योजना प्रभारी द्वारा किया जायेगा।	,(पीडी, एसएपी–II, श्रीयोजना) एसई आईएवाई
2	**आवास योजना** 1. अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना– • वर्ष 2015–16 की 33 लाभार्थियों की प्रथम किश्त लम्बित है, उनका तुरंत भुगतान कराया जाये। • वर्ष 2015–16 की द्वितीय व तृतीय किश्त कितनी जारी हुई है, प्रगति की समीक्षा। • वर्ष 2016–17 के लिए लक्ष्य निर्धारित कर स्वीकृतियॉं जारी करायी जाये। **2. आवास योजना–** • वर्ष 2011–12 से लेकर वर्ष 2014–15 तक के 2.80 लाख अपूर्ण आवासों को नम्बर 2016 तक पूर्ण कराया जाए। • वर्ष 2015–16 में स्वीकृत आवासों में से 25 प्रतिशत आवास नवम्बर 2016 तक पूर्ण कराये जाने है। • वर्ष 2015–16 में निर्धारित लक्ष्य 84964 में 80981 को पहली किश्त गयी है। शेष को इसी सप्ताह किश्त भेजा जाना सुनिश्चित करें। द्वितीय व तृतीय किश्त की समीक्षा करें। • ग्राम सेवकों को मोबाईल एप संचालन हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड भारत सरकार से जनरेट कराकर जिलों को उपलब्ध कराये जाए। • प्रशासनिक मद में जिलों द्वारा ग्राम सेवकों को उपलब्ध कराये गये मोबाईल फोन/लैपटोप आदि की कय व उनके वास्तविक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए और इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की कॉन्फ्रेन्स के एजेण्डा बिन्दु में रखी जाए। • प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन परिवारों का नाम सैक 2011 की सूची में नहीं है उनका अलग से नाम इन्द्राज कर सूची बनायी गई है। इन परिवारों को शीघ्र लाभ दिलाने के लिए भारत सरकार को शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मंत्री, मा0 मुख्यमंत्री महोदया की ओर से 10–10 दिवस के अन्तराल से लिखवाया जाए की अनुपालना में मा0 मुख्यमंत्री महोदया के स्तर से लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है जो प्रकियाधीन है। • मॉडल आवास पंचायत समिति स्तर पर बनाये जाने थे। अब तक कितनी पंचायतों का निर्माण कराया गया आगामी बैठक में बतायें। • 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के संबंध में जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश दिये जाये तथा भारत सरकार को प्रति दी जाए।	एसई आईएवाई

3	एमपी लैड योजना में समस्त किस्तें जारी करायी जाए। • वर्ष 2014–15 व 2015–16 के प्रगतिरत 446 अप्रारम्भ 151 कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए कार्यवाही करायी जाए।	पीडी एसएपी प्रथम
4	एमएलए लैड योजना में प्रथम किश्त जारी होने की सूचना संबंधित मा0 विधायक को दी जाए। • वर्ष 2014–15 व 2015–16 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाए।	पीडी एसएपी प्रथम
5	गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना की प्रथम किश्त जारी कर दी गयी है। • वर्ष 2014–15 व 2015–16 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। • जिलो को 100 करोड का आवंटन कर दिया गया है अतिरिक्त राशि के लिए पत्रावली अनुमोदन उपरान्त ही जिलों से प्रस्ताव मांगे जाये।	परि. निदे. मोएवंमू
6	डांग, मगरा, मेवात– • वर्ष 2016–17 के जिलों का आवंटन व उनकी वार्षिक कार्य योजना जिलों को 10 जून उपलब्ध करायी जाए। • वर्ष 2014–15 व 2015–16 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाए।	पीडी एसएपी –II
7	बीएडीपी– • वर्ष 2016–17 की कार्य योजना में में आवश्यक संशोधन कर इसी सप्ताह भारत सरकार को कार्य योजना भेजी जाना सुनिश्चित करें। • वर्ष 2014–15 व 2015–16 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। • योजना में निर्मित होने वाले 4 प्रशिक्षण केन्द्र बनाये जाने थे जिनका शीघ्र निर्माण कराया जाए। सैल्फ फाईनेन्सिंग के तहत आईटी केन्द्रों पर लिये जाने वाले प्रशिक्षण की जानकारी टीएडी विभाग से प्राप्त कर समीक्षा करें।	पीडी एसएपी –II
8	विधान सभा प्रश्न प्राप्त होने के 30 दिवस में निस्तारण कर भिजवाना सुनिश्चित करें।	सं.शा. सचिव, प्रशा., समस्त योजना प्रभारी
9	• विभिन्न योजनाओं की वर्ष 2014–15 व 2015–16 की 35000 कार्यो के विपरीत 8000 सीसी जारी की गयी। इन 8000 में से 5000 दिनांक 01.04.2016 के बाद हुई है। • 100 से अधिक बंद पडी योजनाओं की राशि संबंधित खातों में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। • वित्तीय सलाहकार एवं अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा.वि. मिलकर ऑडिट हेतु जिलों में टीम भेजेगे।	एसई आईएवाइ एफए
10	महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर राज्य प्रवृर्तित योजनाओं में यथा डांग, मगरा, मेवात, गुरू गोलवलकर, एमएलए लैड, स्व–विवेक के योजनावार राज्य स्तरीय बैंक में खाते खोले जावे। इस संबंध में वित्त विभाग, एनआईसी एवं बैंको के साथ किये जाने वाले कार्यो के संबंध में बैठक दि0 17.6.2016 को रखी जाए।	एफए
11	मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाए– 1. डांग, मगरा, मेवात से 20 प्रतिशत राशि दिये जाने की समीक्षा के लिए पत्रावली मा0 मंत्री महोदय को भिजवायी जाए जिसमें यह निर्णय लिया जाना है कि वर्ष 2016–17 में एमजेएसए के लिए राशि उपलब्ध करायी जानी है अथवा नहीं। 2. अध्यक्ष, मगरा कार्यालय हेतु आवश्यक स्टाफ एवं श्री योजना के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले एक क0लिपिक एवं एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के संबंध में प्रशासनिक शाखा से आदेश जारी किया गया, इनकी पालना सुनिश्चित करें व वाहन के बारे में पत्रावली प्रस्तुत करें। 3. शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग कोटा संभाग के प्रभारी है। संभाग के जिलों की अद्यतन प्रगति से प्रभारी श्री योजना द्वारा अवगत कराया जाये।	पीडीएसएपी –II सं.शा.स.प्रशा. श्री योजना

12	आईडब्ल्यूएमएस सोफ्टवेयर में जिओटेगिंग हेतु दि0 22.6.2016 को बैठक रखी जाए।	परि. निदे. मोएवंमू
13	डीआरडीए प्रशासन में कम राशि प्राप्त हुई है। 40 करोड की कमी चल रही है इसके लिए भारत सरकार व वित्त विभाग को अ.शा. पत्र शासन सचिव महोदय की ओर से लिखा जाए।	एफए
14	जैसेन्दर स्टेशन बाडमेर की विजिट 8–9 जून 2016 को की जाए।	(पीडी, एसएपी–I–II, एफए
15	गोचर भूमि विकास बोर्ड के गठन की पत्रावली मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन उप सचिव बायोफ्यूल को हस्तान्तरित की जाऐ।	(पीडी, एसएपी–II)
16	बीपीएल 2011 में अपील के माध्यम से अभी तक नाम जोडे जा रहे है इस संबंध में Secc-2011 की पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को बीपीएल के संबधं में पूर्ण रूप से पुनर्विचार करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जाए।	परि. निदे. मोएवंमू
17	योजनाओं की वित्तीय व भौतिक प्रगति की समीक्षा 20 जुलाई की बैठक में की जाएगी। एमपीआर के साथ बैठक में उपस्थिति होंगे।	समस्त योजना प्रभारी

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

20/6/16.

(सी.एल.वर्मा)
परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–I/ मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. परियोजना निदेशक(एसएपी–II) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन उप सचिव, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

20/6/16

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)